

क्रमांक / 2018 / 747



दिनांक 24/4/018

प्रति,

महाप्रबंधक

वे.को.फी.लिमि.

पेंच क्षेत्र परासिया



विषय :- Diversion of 385.841 ha Forest land (including 340.148 ha forest land and 45.693 ha of Revenue Forest Land) in favour of M/s. Western Coalfields Limited for Dhankasa Under Ground Coal Mining Project and construction of road in West Chhindwara District under the Chhindwara Forest Division, Madhya Pradesh.

संदर्भ :- भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र क्रमांक/8-47/2017-एफ.सी. दिनांक 02.01.018 एवं अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू-प्रबंध) भोपाल के पृ.क्र. एफ-1/एफपी/एमपी/ एमआईएन/16527/2015/774 दिनांक 08.01.2018 एवं इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 1030 दिनांक 03.02.2018, वनमंडल कार्यालय का पत्र पृ.क्र. /मा.चि./2177 दिनांक 17-04-18

—0—

विषयांकित संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें। पश्चिम छिंदवाड़ा वनमंडल अंतर्गत वनपरिक्षेत्र परासिया के आरक्षित वनखंड 41 नेहरिया के कक्ष क्रमांक 736,737,738,739,740 रकबा 340.148 हेक्टेयर वनभूमि एवं राजस्व वनभूमि (छोटे-बड़े झाड़ का जंगल) ग्राम पायली में खसरा क्र. 154,195/1,195/3,216,217,219,220,223,224,228,232 रकबा 8.567 हे. एवं सैजवारा में खसरा क्र. 394,398,401,405,407,421,437 रकबा 10.810 हे. एवं बांकी में खसरा क्र. 53/1,55,56 रकबा 2.992 हे. एवं नेहरिया में खसरा क्र. 4,46/1क, 68 /1,72/ 1क,81/ 1क,83,84/ 1क,113/1, 117, 120/1, 120/5,120/7,122/1,130/1,143/1,148,149/1,237/1,353/1,354 रकबा 23.325 कुल राजस्व भूमि रकबा 45.694 हेक्टेयर कुल प्रस्तावित रकबा 385.481 हेक्टेयर (धनकशा कोयला खदान) भूमिगत कोयला उत्खनन हेतु मेसर्स वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड पेंच क्षेत्र परासिया जिला छिंदवाड़ा को भारत शासन पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र क्रमांक एफ 8 - 45 / 2017 - एफ सी दिनांक 02.01.2018 से प्रथम चरण की सैद्धांतिक स्वीकृति जारी की गई है। स्वीकृति में अधिरोपित शर्त क्रमांक 1 से 36 तक का पालन आवेदक विभाग से कराया जाना है।

स्वीकृति में अधिरोपित शर्त क्रमांक 14 के पालन हेतु नेट प्रजेन्ट वेल्यू की राशि का निर्धारण मध्यप्रदेश शासन वन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-5/16/200/10-3 दिनांक 12.09.2008 के अनुसार वनों की इको वेल्यू श्रेणी उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन एवं वनों का धनत्व मध्यम घनत्व वन 0.5 से 0.7 के लिए नेट प्रजेन्ट वेल्यू प्रति हे० 8.03 लाख रु. के आधार पर किया गया है।

व्यपवर्तित राजस्व वनभूमि रकबा 385.148 हे० में नेट प्रजेन्ट वेल्यू प्रति हेक्टेयर के 8.03 लाख की दर से राशि रु. 30,98,30,323.00 का आंकलन किया गया है। मध्यप्रदेश शासन वन विभाग वल्लभ भवन भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-5-16/2000/10-3 दिनांक 12.06.2008 एवं एफ-5-17/2011/10-3 दिनांक 22.02.2012 के अनुसार भूमिगत कोयला खदान के लिए एन.पी.व्ही. संपूर्ण एरिया का पचास प्रतिशत राशि वसूल करने के आदेश है। इस हेतु निर्धारण की गई एन.पी.व्ही की राशि रु. 30,98,30,323.00 का पचास प्रतिशत राशि रु. 15,49,15,162.00 का निर्धारण किया गया है एवं उपरीतल सड़क निर्माण हेतु रकबा 4.70 हे० की एन.पी.व्ही. की राशि 8.03 लाख प्रति हे० की दर से राशि रु. 37,74,100.00 लाख का निर्धारण किया गया है। इस प्रकार कुल एन.पी.व्ही. की राशि रु. 15,86,89,262.00 का निर्धारण किया गया है।

निर्धारण की गई एन पी व्ही की राशि रु. 15,86,89,262.00 ई-पोर्टल के माध्यम से कैंप्पा मद में कारपोरेशन बैंक खाता क्रमांक 520101263743590 में जमा करें एवं जमा उपरांत राशि का बैंक स्टेटमेंट यू.टी.आर. नंबर की छायाप्रति प्रस्तुत करें। शर्त क्रमांक 6 के पालन हेतु संपूर्ण लीज एरिया की वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना एवं शर्त क्रमांक 9 के पालन हेतु वनक्षेत्र में उपरीतल सड़क निर्माण उपयोग हेतु दुग्ध वनक्षेत्र में वृक्षारोपण योजना एवं शर्त क्रमांक 16 के पालन हेतु लीज एरिया के साढ़े सात मीटर पट्टी (सेफ्टीजोन) रोपण योजना तथा साढ़े सात मीटर सेफ्टी जोन के देढ़ गुने विंगडे वन क्षेत्र की रोपण योजना वनपरिक्षेत्राधिकारी परासिया से तैयार कराकर उपवनमंडलाधिकारी के माध्यम से प्राप्त होने के उपरांत तकनीकी स्वीकृति जारी होने के पश्चात् निर्धारण की गई राशि की मांग पृथक से की जावेगी।

उपरोक्त स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का पालन प्रतिवेदन मय अभिलेख एवं वचन पत्र के इस कार्यालय में 6-6 प्रतियों में प्रस्तुत करें।


उप वनमण्डलाधिकारी
परासिया उपवनमण्डल

पू.क. / 2018 /

छिन्दवाड़ा दिनांक /

प्रतिलिपि :- वनपरिक्षेत्राधिकारी परासिया सा 10 वनपरिक्षेत्र की ओर सूचनार्थ अग्रेषित। भारत शासन पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र क्रमांक 8-45/2017-एफ.सी.दिनांक 02.01.2018 से जारी प्रथम चरण की सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का पालन आवेदक विभाग से कराकर एवं स्वीकृति में अधिरोपित शर्त क्रमांक 6,9 एवं 16 में रोपण योजना तैयार कर इस कार्यालय के माध्यम से प्रस्तुत करें।


उप वनमण्डलाधिकारी
परासिया उपवनमण्डल